राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग

(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–।।/104032 जयपुर, दिनांक 06 JUL 2016

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद बून्दी।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा सेवाओं के लिये कर्मचारियों से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की स्थिति में अनुबन्ध नया भरवाने एवं सीपीएफ खाते खुलवाने बाबत मार्गदर्शन।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 943 दिनांक 22.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में चाहे गये निम्नलिखित बिन्दुओं का मार्गदर्शन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	चाहा गया मार्गदर्शन	स्थिति
1.	नया अनुबध 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मियों से ही भरवाया जाना है या सभी संविदा कर्मियों से, जिनकी अवधि 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुई उन्हें भी सम्मिलित करते हुये ?	इस विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 13.10.2014 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जिनकी 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो चुकी है, उन्हें नये अनुबन्ध पर नियोजित किया जावे। बिन्दु संख्या 3 में योजना में पूर्व में नियोजित संविदा कार्मिकों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 में दिये गये नये अनुबन्ध में नियोजित किये जाने पर मानदेय राशि पूर्व में प्राप्त मानदेय के अनुसार रखी जावे। इस प्रकार योजनान्तर्गत सभी संविदा कार्मिक जिनकी सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो गई है या 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन सभी संविदा कार्मिकों से वित्त विभाग के परिपत्र दि. 27.06.14 में अनुबन्ध भरवाया जाना है।
2	जिन संविदा कर्मियों की सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, उनसे पुराना अनुबन्ध जिसमें 10 प्रतिशत वृद्धि व 15 आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है, को भरवाया जाकर पूर्व के अनुबन्ध की अवधि को विस्तार दिया जाना है या नहीं ?	विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.15 के बिन्दु संख्या 4 में जिन संविदा कार्मिकों की सेवाएं 5 वर्ष से कम अवधि की है तो नवीन अनुबन्ध में देय मानदेय उनके हडताल पर जाने से पूर्व में दिये जा रहे मानदेय के बराबर होगा तथा इनको दी जाने वाली वार्षिक मानदेय वृद्धि 5वें वर्ष तक पूर्वानुसार दी जाती रहेगी। इस प्रकार पूर्व में 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण किये जाने पर मानदेय 10 प्रतिशत वृद्धि विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 28.02.2011 के अनुसार दिया जाना है।